

मु० न०:- 164/2023

तारीखरजु:- 6.12.2023

उनवान:- अब्दुल कदीर बनाम सिराज वगै०
दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक
12
6/23

फर्द अहकाम

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 19.01.2024 को पेश हो।

8421-36
6.12.2023

(सुनीता मीना)

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

19/24

वकूलाय उपस्थित/वार की ओर से कायं स्थगन रखा
पीठासन अधिकारी भ्रमण/मीटिंग/अवकाश पर
है। गतानुसार दिनांक 31.12.24 को पेश हो

(Signature)

31/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित प्रतिवादी न० 1 की ओर से श्री जाकिर खान एडवोकेट ने वकासनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी न० 15, 16 पैरोकार सरकार उपर। एवं शेष प्रतिवादी न० 2 लगा 14 के नोटिस तामील विहित नहीं हुए हैं। पुनः नोटिस सही पते पर पेश करने के लिए वादी वकील को डिफाउंडी गई। वास्ते तसबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 27.2.24 को पेश हो

(Signature)

27/24

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... मुनास... डी.ए.ए. ने जयपुर पधारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 12.2.24 को पेश हो।

19/24

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... मुनास... डी.ए.ए. के कुरीली पधारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 7.12.24 को पेश हो।



7 ⁶/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपञ्जकारान उर्फ) वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 1.7.24 को पेश हो।

press मे रवा
जेस मे रवा
शुमार होकर
दफ्तर हो।

7 ⁷/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपञ्जकारान उर्फ), प्रतिवादी नं० 11 लगा० 14 के नोटिस तामील, तामील कुलिम्दा की रिपोर्ट के आधार पर इज्जत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बावजूद सूचना को उपस्थित नहीं हुआ। शलमि एक्ट प्रतिवादीगणों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वास्ते शीष तलबी प्रतिवादी नं० 2 लगा० 10 एवं जबाब पेश करने दिनांक 25.7.24 को पेश हो।

25 ⁷/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपञ्जकारान उर्फ) प्रतिवादी नं० 2 लगा० 10 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वाडी वकील को डिगपत डी गई। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 29.8.24 को पेश हो।

30 ⁷/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वाडी वकील श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवो ने प्रार्थना पत्र इस बाबत पेश किया कि पञ्जकारान के मध्य राजीनामा हो गया। उक्त दावा को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। पत्रावली वाडी वकील के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 29.8.24 से आज तलब की गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पञ्जकारानो के मध्य राजीनामा हो गया। वाडी वकील ने आदेशिका पर इस बाबत इस्ताइर डिपै। पञ्जकारो के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण पत्रावली Not

Not Presd
30.7.2024

